

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री राजेन्द्र विजय (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 290/2016

बउनवान

प्रभूलाल पुत्र छपना जाति—माली निवासी—अम्बेडकर सर्किल बारां तहसील—बारां जिला—बारां
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां



(रिस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रिस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 31.08.2021

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सुसावन, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 834 रकबा 0.10 हैक्टर पर ईट भट्टा लगाकर, अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1875/-रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व वैधानिक रूप से कोई नोटिस नहा दिया है, सुनवाई का अवसर दिये बिना हीं उक्त निर्णय पारित किया है। यह आराजी खोतदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व पत्रावली का अभिलेख रेकार्ड पर न होते हुये भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में विधिक त्रुटि की है। अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है ना हीं कोई साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये एकरतफा साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी का अतिक्रमण प्रमाणित नहीं है तथा उसके द्वारा जमा करा दिया है। निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील परोकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.7.2015 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जर्ने सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को खातेदारी भूमि पर अकृषि कार्य ईट भट्टा लगाने का दोषी मानकर उक्त आदेश पारित किया है। विवादित आराजी स्वयं के खातेदारी की है। खातेदारी भूमि पर 4000 वर्गगज तक बिना रूपान्तरकरण गैर कृषि कार्य ईट भट्टे का संचालन किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.04.2007 अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2015 निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। अपीलांट ने खाते की भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर मि0नं0 114/14 निर्णय दिनांक 23.04.2014 से बेदखल किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है तथा खातेदारी भूमि पर 4000 वर्गगज तक ईट भट्टा लगाने हेतु रूपान्तरकरण की आवश्यकता नहीं है। जबकि परोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट विवादित आराजी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलांट ने उक्त भूमि पर ईट भट्टा लगा रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने में मिसल नम्बर 114/2014 निर्णय दिनांक 23.4.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा किया गया कथन कि 4000 वर्गगज तक ईट भट्टा लगाने के लिये रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं होने का कथन इस प्रकरण पर चरपा नहीं होता है।

जिला कलेक्टर
वारा (राज०)



हमने पटवारी हल्का से उक्त भूमि की वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही। प्राप्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया कि वर्तमान में ग्राम सुसावन की आराजी खसरा नंबर 834 रकबा 0.92 है. किस्म बारानी ॥ खातेदार उदा पुत्र छपना जाति माली वगैरह के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 834 में ईट भट्टा लगा हुआ है।

अतः ऐसी स्थिति में हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि अपीलांत विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। तथा वर्तमान में भी अपीलांत ने उक्त भूमि पर ईट भट्टा लगा रखा है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(राजेन्द्र विजय)
जिला कलेक्टर, बारां